

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रमेश पासवान पिता-पवित्र पासवान ग्राम-नया टोला हसनपुर पो०-हसनपुर गुर्दा थाना -महनार जिला-वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	किरण देवी पति-बिरेन्द्र प्रसाद केशरी ग्राम-गुलाब बाग रोड लखीबाग पो०+थाना-मसौढ़ी जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शीला नाथ पाण्डेय पिता-नगीना पाण्डेय ग्राम-पुरषोतमपुर पो०-नाजीरगंज थाना-जनता बाजार जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	वृन्दा नन्द राम पिता-घर घुमन राम ग्राम-बाबु बांध पो०-बागर थाना-चौड़ी जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	रुबी देवी पति-सिया राम रजक ग्राम-पो०+थाना-मटिहानी जिला-बेगुसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	अशोक कुमार शर्मा पिता-सुरेश प्रसाद शर्मा ग्राम-सुल्तानपुर पो0-कान्हाईपुर थाना-मोकामा जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	बिपिन कुमार पिता-राम प्रवेश प्रसाद ग्राम-पो0-इतासन थाना-रहुई जिला-नालंदा	हड्डी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	योगेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 रामाश्रय प्रसाद ग्राम-मुर्गीयाचक पो0-कावा थाना-हिलसा जिला-नालंदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	प्रेम कुमारी पति-स्व0 जग नारायण प्रसाद ग्राम-साहेब टोला बिहियां पो0-थाना-बिहियां जिला भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	तमन्ना जहांगीर पिता-स्व0 अब्दुल कादीर ग्राम-नोहसा पो0+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	मो0 मोबीन पिता-मो0 मुस्तफा ग्राम-बडी खगौल डीह पो0-थाना-खगौल जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	सोनामती देवी पति-चन्द्रदीप सिंह ग्राम-कुराईच पो0+थाना-सासाराम जिला-रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	कुन्दन कुमार पिता-राज किशोर मिस्त्री ग्राम+पो0-कछीयावा थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	राम नाथ ठाकुर पिता-बजरंगी ठाकुर ग्राम+पो0-गोपालपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

15	साजदा खातुन पति-स्व० सैयद वसीर अहमद ग्राम-झरवा पो०-दरियापुर थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण	हड्डी रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
16	अरुण राम पिता-प्रभु राम ग्राम-न्यु पुलिस लाईन लोदीपुर पो०-जी०पी०ओ० थाना-कोतवाली जिला-मटना	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
17	हर्षिका कुमारी पिता-अरुण कुमार श्रीवास्तव ग्राम-मुसहरी पो०-थाना-रामगढ़वा जिला-पूर्वी चम्पारण	कोकलीयर इम्प्लांट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
18	बीरबल कुमार पिता-सुनील कुमार राय ग्राम-खाड़ीपाकड़ा गोविन्द पो०+थाना-अमनौर जिला-सारण	न्युरो रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	तमीम आलम पिता-एकरामुल हक ग्राम-झब्बु टोला पो०-पार दीयारा थाना-अमदाबाद जिला-कटिहार	टयुमर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	राधा देवी पति-लाल मोहन दास ग्राम-मोदन गाछी वार्ड नं०-5 पो०-थाना-मोकामा जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	लीलावती देवी पति-राज बल्लम चौधरी ग्राम-शेलगढ पो०-सैदाबाद थाना-रानी मालाम जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अमृता कुमारी पिता-सुनील पासवान ग्राम-पड़रावा पो० महुआवा, थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मैना नट पिता-स्व० फुलेना नट ग्राम-रहीमपुर छपीया पो०+थाना-मढ़ौरा जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

24	ललीता देवी पति-अनिल प्रसाद भगत ग्राम-आलापुर पो0+थाना-आजमनगर जिला-कटिहार	नी रिपलेस्मेंट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	रूपा देवी पति-संतोष कुमार शर्मा ग्राम-बीबीगंज मैदा टोली पो0+थाना-दानापुर जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
26	विश्वनाथ ग्वाला पिता-रूपन ग्वाला ग्राम-मुस्तफाबाद टोले बहरे नारा पो0-मुस्तफाबाद थाना-गोरैया कोठी जिला-सीवान	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
27	चन्दन कुमार पिता-मनोज कुमार ग्राम-जोगना पो0-फुलडीह थाना-रूपो जिला-नवादा	हड्डी रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	सार्थक कुमार पिता-धर्मन्द्र कुमार ग्राम-पो0-बरडीहा तुर्की थाना-पातेपुर जिला-वैशाली	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
29	जगदीश प्रसाद सिंह पिता-रु चोकट सिंह ग्राम-रूपी बतराहा पो0-मिश्र बतराहा थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगंज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
30	लखमुनी देवी पति-सिपाही सिंह ग्राम-करमा, पो0-इटढीया थाना-धनसोई जिला-बक्सर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
31	अमन कुमार तिवारी पिता-विष्णु कान्त तिवारी ग्राम-बलरा पो0-हसनपुर मठीया थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	जीवन कुमार सिंह पिता-राजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-रैनीया पो0-जोगडीहा थाना+जिला-बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	शिव बहादुर पासवान पिता-बोधी पासवान ग्राम-तिसौर पो0-गिन्जी थाना-हुलासगंज जिला जहानाबाद	स्पाईनल सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
34	शांति देवी पति-मुनेश्वर प्रसाद रजक ग्राम-थाना-जानीपुर पो0-सोरमपुर जिला-पटना	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
			₹ 29,60,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,60,000/- ( उनतीस लाख साठ हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~875357~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **579310110008985** खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें।  
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~875357~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 504 (A)

पटना, दिनांक 06/13/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / संबंधित मरीजों/आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/13/19  
निदेशक प्रमुख  
पटना

पत्रांक 14 / एम 11-2 / 19  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.3.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवजी राय पिता-स्व० बिलटु राय ग्राम+पो०-डुमरी थाना-रहिका जिला-मधुबनी पंजीसं०-104338386	हिप रिपलेस्मेंट	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	संतोष बादल पिता-रामजी सिंह ग्राम-जमुआवा भगलु बीगहा पो०+थाना-दाउद नगर जिला-औरंगाबाद सीआरनं०-102880061	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-( तीन लाख ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875356 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, आ० आ० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।

4. मरीज के चिकित्सापरामर्श चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875856 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 603(14)

पटना, दिनांक 27/3/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/19  
निदेशक प्रमुख  
आ. रंजन

सं० सं० 14/एम 11-2/19  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.3.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	वियाफी देवी पति-सोने लाल राम ग्राम+पो० बेला थाना-रामगढ़वा जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन०-2018187578	ब्रेन ट्युमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	दिलिप कुमार पिता-स्व० सरदार प्रताप सिंह ग्राम-पेसौढ़ा पो०-माफी थाना-अस्थांवा जिला-नालंदा सीआरन०-2017142293	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	गौरी शंकर सिंह पिता-स्व० हरि सिंह ग्राम-हरिहरपुर पो०-तराढ़, थाना-नोखा जिला-रोहतास सीआरन०-2019103971	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	राज कुमार सिंह पिता-रघुवीर सिंह ग्राम+पो०-बरमसवा थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन०-2008448819	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
5	जावेद अख्तर पिता-ऐनायत हुसैन ग्राम-चिन्तामनगंज पो०-रहमपुर, थाना-गरखा जिला-सारण सीआरन०-2014652820	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



6	विशाल कुमार पिता-मंगल साह ग्राम-खेमाई पट्टी पो0+थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-2019155987	प्लास्टिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	प्रियंका देवी पति-संजीत कुमार सिंह ग्राम+पो0-धनैया थाना साहेबगंज जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-2019097231	पेट रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	शिव शंकर कुमार पिता-बिनोद शंकर दास ग्राम-पो0-तमुआ थाना-छातापुर जिला-सुपौल सीआरनं0-20181154413	न्युरो सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
9	योगेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 सिंगासन महतो ग्राम-मिसरौली गोईता टोला पो0-मुसहरी, थाना-शनिचरी जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2019093904	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	राकेश कुमार पिता-गुलाब पटेल ग्राम+पो0-केहुनीया थाना-शिकारपुर जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2018256124	हड्डी एवं नस रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	राम बालक कुमार पटेल पिता-शिवजी प्रसाद ग्राम हरदिया पो0-बरबतसेना थाना-मुफसिल जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2018838718	पेट रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	उषा कला किरण पति-ओम प्रकाश निराला ग्राम-पोस्टल पार्क रोड नं0-3 पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना सीआरनं0-2013817397	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 14,30,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,30,000/- ( चौदह लाख तीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 875257 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0आई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय।
- 5 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 6 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...875357...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 542(14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/19  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,  
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.2.19 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अब्बाद अहमद पिता-नजमुल होदा ग्राम-धपरसीया पो०-चौकी हरिपुर थाना-कदवा जिला-कटिहार पंजीसं०-250683	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	मो० अब्दुल अरमान पिता-बाबुदीन मियां ग्राम-पो०-मुसेपुर थाना-बिहटा जिला-पटना	हृदय रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	गुलाम गौस पिता-ताज महम्मद ग्राम-पो०-रामपुर थाना-मढौरा जिला-सारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	मिन्ता कुमारी पिता-मोहन राय ग्राम-बली टोला पो०-सुतिहार थाना-डेरनी जिला-सारण	हृदय रोग	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
5	मो० नईम पिता-मो० सकुर साह ग्राम-मनुआ पो०-इस्माईलपुर थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली पंजीसं०-260207	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	चम्पा देवी पति-स्व० अरूण पासवान ग्राम-पो०-बड़ारा <del>ग्राम-मुसफरपुर</del> जिला-नालंदा पंजीसं-259383	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	योगेन्द्र पंडित पिता-रामाश्रय पंडित ग्राम लखौरा गणेश टोला पो०+थाना-लखौरा जिला पूर्वी चम्पारण पंजीसं०-255371	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,20,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875357 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 32987008657 खाता धारक का नाम- पारस एचएमआर आई अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-शेखपुरा, बेली रोड, राजा बाजार पटना 14, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003563 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

- स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें।  
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर. डी. रजंन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 875357 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 507 (14)

पटना, दिनांक 06/05/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/05/19  
निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
मेडिका मगध अस्पताल,  
राजेन्द्र नगर रोड नं0-2बी0  
पटना- 800016

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नौसाबा बानो पति-स्व0 अब्दुल अजीज ग्राम-खजुर बन्ना नसेमन कालोनी पो0-महेन्दु थाना-सुल्तानगंज जिला-पटना	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	हरिहर भगत पिता-सरल भगत ग्राम-पो0-बरई पट्टी थाना-यादोपुर जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	बिनिता देवी पति-रामा शंकर तिवारी ग्राम-मंगोलापुर पो0-थाना-जलालपुर जिला-सारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	काजल कुमारी सिंह पिता-मिथिलेश कुमार सिंह ग्राम-पो0-सरैया थाना-दरियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	गीर्ता देवी पति-सचिदानन्द प्रसाद ग्राम-पथरौरा पो0-थाना-बजीरगंज जिला गया	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	अरुण प्रसाद सिंह पिता-राम रतन सिंह ग्राम-समस्तपुरा पो0-थाना-भेल्दी जिला-सारण	हृदय रोग	45,000	पतालीस हजार स्वीकृत।
7	दशरथ यादव पिता-राम राज यादव ग्राम-पो-अरीयांव थाना-कृणब्रहम जिला-बक्सर	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			₹ 7,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875349 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 37055550128 खाता धारक का नाम- 'मेडिका मगध अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम - पी०बी०बी०, डाक्टर कालोनी RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 875349 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 506 (14)

पटना, दिनांक 06/01/19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

पत्रांक 14 / एम 11-2 / 18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड  
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हरिबंश राम पिता-स्व० मंगुर राम ग्राम-चांदो रूईया पो०-अखलासपुर थाना-भभुआ जिला-भभुआ, कैमुर सीएमसीन०-341371 एच	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अयान अली पिता-बाबुदीन अंसारी ग्राम फलपुरा पो०-तिलौता रसुलपुर थाना-पचरुखी जिला-सीवान सीएमसीन०-475568 एच	कोकलीयर इम्पलांट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	हसन इमाम पिता-बाबुदीन अंसारी ग्राम फलपुरा पो०-तिलौता रसुलपुर थाना-पचरुखी जिला-सीवान सीएमसीन०-475579 एच	कोकलीयर इम्पलांट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,00,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875351 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(डा0 आर0 डी0 रंजन)  
निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...875251...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 498(14)

पटना, दिनांक 6.3.19

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/19  
निदेशक प्रमुख  
2019/3/19



सं० सं० 14/एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनी देवी पति-सत्येन्द्र कुमार यादव ग्राम-सुपौली पो०-अक्षयवर पीपरा थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज सीआरनं०-2019061400	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	विभा शर्मा पति-शिव कुमार चौधरी ग्राम-बख्तियारपुर पो०-मालीनगर थाना-चक महेशी जिला समस्तीपुर सीआरनं०-2018786115	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	ओम प्रकाश कुमार पिता-राजेन्द्र सिंह ग्राम-कवई पो०-सेमरी थाना-दावथ जिला-रोहतास सीआरनं०-2016846087	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	नयन देवी पति-प्रेम चन्द प्रजापति ग्राम-सरकडही पो०-बेलही खास थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सीआरनं०-2014132570	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	विवेक कुमार पिता-श्याम प्रसाद <del>ग्राम-उफरौल</del> पो0-रमणा थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-2018595693	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	हरि ओम पिता-गनौर राम ग्राम-पो0-तारा धमौन थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-2018291015	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पांच लाख स्वीकृत।
7	शिवम कुमार पिता-लाल बाबु दास ग्राम-उफरौल पो0-धोबौली, थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सीआरनं0-2019045560	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	रविन्द्र कुमार पिता-राम दरस भगत ग्राम-नुर छपरा पो0-दाउद छपरा थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-2010651073	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रिंकु कुमारी पिता-रामचन्द्र साह ग्राम-मठिया ओझा पो0-शिकारपुर थाना-मझौलीया जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-20181010008	ऐ प्लास्टिक ऐनिमिया रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	अजय सिंह पिता-महेश सिंह ग्राम-पो0 कारीसाथ थाना-उदवन्त नगर जिला-भोजपुर, आरा सीआरनं0-2007191687	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
11	बेबी कुमारी पिता-सत्यकाम कुमार ग्राम-सिघाड़ा बुजुर्ग पो0-सिघाड़ा, थाना-महुआ जिला-वैशाली सीआरनं0-2014306192	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	मुनी लाल यादव पिता-स्व0 बालादीन यादव ग्राम+पो0-कारीसाथ थाना-उदवन्त नगर जिला भोजपुर, आरा सीआरनं0-2013154984	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

13	मैनेजर साह पिता-सिद्धी साह ग्राम-पो0-चौमुखा थाना-योगापट्टी जिला-प0 चम्पारण सीआरन0-2019030270	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
14	बंटी पिता-श्रीकान्त साह ग्राम-अगसडा पो0 रामपुर सरैया थाना-दरौली, जिला-सीवान सीआरन0-2015068061	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
15	मालती देवी पति-अरुण कुमार सिंह ग्राम+पो0-महमदपुर बलमी थाना-मोतीनगर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-2019021772	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 23,60,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 23,60,000 /- ( तेईस लाख साठ हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 875352 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आदेश की प्रति में यदि कहीं कोई आंशिक त्रुटि/भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों से मिलान कर रोगी का इलाज प्रारंभ किया जाय। रोगी को इसके लिए अनावश्यक परेशान नही किया जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(डा0 आर0 डी0 रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 875352 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 488(14)

पटना, दिनांक 6-3-19

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक प्रमुख  
5/3/19  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20


पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.2.19 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कोलन-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गोपाल प्रसाद साह पिता-सिया राम साह ग्राम-पो०-बघरा थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	श्याम सुन्दर सिंह पिता-दुलारी सिंह ग्राम-रेवार, पो०-एरूरी थाना-पकड़ी बरांवा जिला-नवादा	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	लक्ष्मी नारायण चौधरी पिता-स्व० पिताम्बर चौधरी ग्राम-पो०-बौराहा थाना-करजाईन जिला-सुपौल	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	अरविन्द कुमार सिंह पिता-स्व० बैद्यनाथ सिंह ग्राम+पो०-पानापुर लंगा थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली	हृदय रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
5	मनीषा देवी पति-भुलेटन साह ग्राम-मंगरा, पो०-भकुरा थाना-काराकाट जिला-रोहतास	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
6	मो० शमीम पिता-स्व० मो० रहमत ग्राम-चन्दवारा मोकरी पो०-प्रधान डाकघर थाना-नगर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।



7	राजेन्द्र प्रसाद पिता-स्व० सरयु महतो ग्राम-नेहालुचक सिधेश्वरपुर पो०-थाना+जिला नवादा	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	राज किशोर सिंह पिता-सीता राम सिंह ग्राम-सोहगी पो०-सोना गोपालपुर थाना-गौरीचक जिला-पटना	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	कुणाल रजक पिता-हरि दयाल रजक ग्राम-पो०-बड़का बनेया थाना-दरियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
10	चितरंजन प्रसाद पिता- ब्रह्मदेव प्र० राय ग्राम-गिरमिसानी पो०-फतहपुर थाना-जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सुरेन्द्र कुमार पिता-रामचन्द्र राम ग्राम-पो०-पावा थाना-दीप नगर जिला-नालंदा	हृदय रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
12	शिवपुजन सिंह पिता-स्व० रघुनाथ सिंह ग्राम-सेमरहिया पो०+थाना-मढ़ौरा जिला-सारण	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
13	परमानन्द कमती पिता-चिनगी कमती ग्राम- चातर पो-हरिनगर थाना-के० स्थान जिला-दरभंगा	हृदय रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,35,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,35,000/- ( तेरह लाख पैतीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 875353 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्ता की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...**875353**...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका 2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

**502(14)**

पटना, दिनांक

**06/3/19**

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियाँ में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

**06/3/19**  
21-11-19